

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—114 / 2003
 संस्थित दिनांक—13.05.1992
 फाईलिंग क.234503000031992

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी गढ़ी,
 उत्तर वन मण्डल बालाघाट, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

1—गणेश वल्द स्व. रीमनलाल पटले, उम्र—47 वर्ष,
 निवासी—ग्राम पौनी, थाना मलाजखण्ड,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—राजू भोजक वल्द गजाधर खटीक उम्र—38 वर्ष
 निवासी—ग्राम बंजारीटोला, थाना मलाजखण्ड
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—हफीज खान वल्द मो. रफीक खान, उम्र—46 वर्ष,
 निवासी—कम्पाउण्डर टोला बैहर, थाना बैहर
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—कुवरसिंह वल्द इतवारी गोंड, (फौत)
 निवासी—ग्राम जगला, थाना बिरसा,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

5—विश्वनाथ वल्द चन्दनसिंह गोंड, (फौत)
 निवासी—ग्राम पटुआ, थाना गढ़ी,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

6—चैतराम वल्द कुंवरसिंह गोंड, (फौत)
 निवासी—ग्राम जगला, थाना बिरसा,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपीगण

// **निर्णय** //**(आज दिनांक-15/10/2015 को घोषित)**

- 1- आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-39(3), 40(2) सहपठित धारा-51 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-05.02.1992 को ग्राम बिठली में बिना किसी अनुज्ञप्ति के एक शेर का चमड़ा, एक चीतल का चमड़ा, एक रेढ़ा (हाईना) का चमड़ा अवैध रूप से प्राप्त कर परिवहन कर अपने आधिपत्य में रखा।
- 2- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विचारण के दौरान आरोपी कुंवरसिंह, विश्वनाथ व चैतराम फौत हो चुके हैं।
- 3- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी को दिनांक-04.02.1992 को रात्रि लगभग 11-12 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी गणेश अपने निवास स्थान में वन्य प्राणी शेर, चीतल, रेढ़ा आदि का चमड़ा संग्रह करके रखा है। उक्त सूचना पर दिनांक-05.02.1992 को आरोपी गणेश के यहां पहुंचकर चमड़े आदि के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी गणेश ने आपने घर से शेर, चीतल एवं रेढ़ा का एक-एक नग चमड़ा निकाल कर दिया, जिसे डिप्टी रेंजर जे.के. मोहर द्वारा जप्त कर आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर क्रमांक-6150 जारी किया गया तथा आरोपी गणेश के कथन लिये गए। आरोपी गणेश ने अपने कथन में बताया कि राजू खटीक तथा हफीज उक्त चमड़ा लाकर अपने घर में रख लेना बताया। वन कर्मचारियों की पूछताछ करने पर उक्त तीनों चमड़े उसने निकाल कर दिया था, जिसकी जप्ती बनाई गई थी। आरोपी विश्वनाथ से पूछताछ करने पर पता चला कि रेढ़ा का चमड़ा कहां से पाया है तो उसने बताया कि रेढ़ा मरा पड़ा था तो उसने अपनी कुल्हाड़ी से चमड़ा छिलकर निकालकर घर लाया था, कुल्हाड़ी जप्त की जा चुकी है एवं आरोपी विश्वनाथ के घर से चमड़ा उसके लड़के के साले आरोपी चैतराम द्वारा जगला लाया गया था एवं बेचा गया था। आरोपीगण द्वारा वन्य प्राणी के चमड़ों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता था और आरोपी गणेश के यहां क्रय-विक्रय किया जाता था। आरोपीगण से उक्त सामग्री जप्त कर उनके संबंध में लायसेंस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने लायसेंस नहीं होना बताया था। आरोपीगण ने जुर्म करना कबूल किया, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक-6150, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-39(3), 40(1) (2), 51(3) एवं 52 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा,

जप्तीनामा, आरोपीगण के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-39(3), 40(2) सहपठित धारा-51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-05.02.1992 को ग्राम बिठली में बिना किसी अनुज्ञप्ति के एक शेर का चमड़ा, एक चीतल का चमड़ा, एक रेढ़ा (हाईना) का चमड़ा अवैध रूप से प्राप्त कर परिवहन कर अपने आधिपत्य में रखा ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

6— परिक्षेत्र अधिकारी जे.के. मोहर (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह वर्ष 1992 में परिक्षेत्र सहायक बैहर के पद पर पदस्थ था। एस.डी.ओ.पी. तथा एस.डी.ओ. वन एवं एस.डी.एम. बैहर ने उन्हें बुलवाया और कहा कि चमड़ा जप्त करने चलना है। फिर वे लोग मलाजखण्ड गये, जहां हबीब टेलर की दुकान है, वहां गये तो हबीब नहीं था। वहां रणमतसिंह नामक एक लड़का मिला था, जिससे चमड़े के बारे में पूछताछ किये तो उसने बताया कि गणेश पटेल बिठली वाला आता है और हबीब से चमड़े की बात करता है। फिर वे रणमतसिंह को लेकर ग्राम बिठली गए, तो रास्ते में ही उन्हें गणेश मिल गया, तो उसे लेकर बिठली गए। आरोपी गणेश के घर की तलाशी उन लोगों ने लिया था, तो उसके यहां से एक शेर का चमड़ा, एक चीतल का चमड़ा तथा एक रेढ़ा (हाईना) का चमड़ा मिला। उन चमड़ों की जप्ती की गई। आरोपी गणेश से चमड़ा के बारे में पूछा गया, तो गणेश ने बताया कि हबीब ने दिनांक-04.02.1992 को मोटरसाईकिल से चीतल एवं शेर का चमड़ा लाकर रखा था और बोला था कि एक दो दिन के बाद ले जा लूंगा तथा साथ में राजू मोटरसाईकिल से आया था तथा हबीब, राजू और गणेश तीनों मोटरसाईकिल से ग्राम जंगला से रेढ़ा का चमड़ा लेकर आए थे।

7— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने राजू के बयान 6 तारीख को लिया गया था, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि उसकी मोटरसाईकिल से यह चमड़ा परिवहन किये गए थे। उसके द्वारा पी.ओ.आर काटा गया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने गणेश से शेर, चीतल और रेढ़ा का चमड़ा जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। 7 तारीख को राजू से मोटरसाईकिल जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने चमड़ा जप्त करने के बारे में पंचनामा बनाया था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी गणेश ने अपने बयान प्रदर्श पी-5 में चमड़ा कहां से लेकर आया था, बताया था। आरोपी गणेश ने ही प्रदर्श पी-6 का भी बयान दिया था। उक्त बयान उसके द्वारा लिखा गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी राजू का बयान प्रदर्श पी-7 भी उसने राजू के बताए अनुसार लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी गणेश व राजू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह बैहर में पदस्थ था तथा गढ़ी परिक्षेत्र में अधिकारी के रूप में पदस्थ नहीं था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे ध्यान नहीं है कि गणेश का बयान लेते समय कौन व्यक्ति मौजूद था। इस प्रकार साक्षी ने उसके द्वारा की गई महत्वपूर्ण कार्यवाही आरोपी के स्वीकारोक्ति वाले बयान को गवाह के समक्ष लेख किये जाने के बारे में नहीं बताया है और प्रतिपरीक्षण में भी उक्त बयान किसके समक्ष लिया गया, इस संबंध में चुनौती दिए जाने पर भी साक्षी ने गवाहों का नाम नहीं बताया है, जिससे यह संदेह होता है कि उसके द्वारा आरोपी का बयान प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-7 के अनुसार कथित गवाहों के समक्ष लेख किया गया था।

9— मो. दिलावर खान (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह वर्ष 1992 में परिक्षेत्र सहायक खुरमुण्डी पूर्व बैहर परिक्षेत्र में था। दिनांक-05.02.1992 को एस.डी.एम. साहब ने उसे जप्ती में जाने के लिए बुलवाया था। फिर वे लोग अधिकारियों तथा स्टॉफ के साथ मलाजखण्ड गये, वहां पर हफीज टेलर का पता किया, परंतु वह नहीं मिला, किन्तु रणमतसिंह ग्राम बिजोरा का मिला, जिससे पूछताछ किया तो रणमत ने बताया कि हफीज के पास गणेश बिठली वाला आया करता है और चमड़े की बातचीत करता है। फिर वे लोग रणमत को लेकर उसके घर बिठली गया, वहां

अधिकारी तथा गांव वालों की उपस्थिति में गणेश के मकान की तलाशी ली गई तो मकान में एक शेर का चमड़ा, एक चीतल का चमड़ा तथा एक रेढ़ा का चमड़ा निकालकर पूछताछ कर जप्ती की कार्यवाही डिप्टी रेंजर जे.के. मोहर द्वारा की गई। पंचनामा बनाया गया तथा उसके हस्ताक्षर लिये गए। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। जे.पी. मोहर द्वारा पी.ओ.आर जारी किया गया।

10— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त कार्यवाही के पश्चात् आरोपी गणेश को तथा जप्त सामग्री लेकर वे लोग बैहर आये। गणेश से पूछताछ किया और राजू के बारे में जानकारी ली गई। फिर वे लोग मलाजखण्ड गए और राजू से पूछताछ किया, तो राजू ने बताया कि राजू और हफीज, गणेश के यहां बिठली मोटरसाईकिल से गए थे और गणेश के यहां शेर और चीतल का चमड़ा हफीज ने रखा था। फिर हफीज, गणेश और राजू ग्राम जगला गए, यह बात गणेश ने बताई तथा गणेश ने भी यह बताया कि जगला से एक रेढ़ा का चमड़ा लाकर रखा था। उनके बयान जे.के. मोहर ने दर्ज किया था। 6 तारीख को राजू और गणेश को गिरफ्तार किया गया। राजू ने यह बताया था कि जिस मोटरसाईकिल से चमड़ा ले गये हैं, वह मोटरसाईकिल ग्राम कोहका में मोती वल्द फागू के यहां रख दिए हैं। 7 तारीख को मोटरसाईकिल की जप्ती की गई। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी पी.एस. बिसेन ने उसके बयान लिया था।

11— तिलकचंद बिसेन (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। वर्ष 1992 से वह मण्डई सर्कल गढ़ी परिक्षेत्र में पदस्थ था। घटना वर्ष 1992 की है। बैहर के परिक्षेत्र सहायक ने आरोपी गणेश से शेर का चमड़ा जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा शेर का चमड़ा उसे सुपुर्दनामे पर दिया गया था। सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-9, 10, 11 पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौकानक्शा प्रदर्श पी-6 उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौकानक्शा का निरीक्षण किया था, जिसमें घटनास्थल काली स्याही से चिन्हित किया गया था। पंचनामा प्रदर्श पी-11 उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पंचनामा प्रदर्श पी-7 घटनास्थल पर निरीक्षण करने के पूर्व तैयार किया था। पंचनामा प्रदर्श पी-8 उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी विश्वनाथ से कुल्हाड़ी जप्त करने के संबंध में तैयार किया गया था। आरोपी

कुंवरसिंह, विश्वनाथ का कथन उसने दर्ज किया था। विश्वनाथ ने रेढ़ा मारना बताया था। कुंवरसिंह ने क्या बताया था, उसे याद नहीं है। चैतराम ने क्या बताया था उसे याद नहीं है।

12— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत शेष साक्षीगण शंकरलाल (अ.सा.4), जगन्नाथ (अ.सा.5), रामप्रसाद (अ.सा.6), जो कि पंचनामा प्रदर्श पी-4 के साक्षीगण हैं, के द्वारा उक्त पंचनामा पर केवल हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित करने के पश्चात् सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उनके सामने उक्त पंचनामे के अनुसार आरोपी गणेश के द्वारा कथित चमड़े निकालकर दिए जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथन से अभियोजन को समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

13— अभियोजन की कहानी के अनुसार मामलों में परिक्षेत्र सहायक जे.के. मोहर के द्वारा संपूर्ण विवेचना किया जाना प्रकट होता है। ऐसी दशा में उक्त वन अधिकारी के द्वारा अकेले निष्पादित की गई विवेचना कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। उक्त परिक्षेत्र सहायक जे.के. मोहर (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय एस.डी.ओ.पी., एस.डी.ओ. वन एवं एस.डी.एम. बैहर के द्वारा बुलाए जाने और चमड़ा जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु चलने के कथन किये हैं, जबकि कथित एस.डी.ओ. फॉरेस्ट के. मुरुगन (अ.सा.11) ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने घटना के समय अपने अधिनस्थ को चमड़ा जप्त करने के लिए मौखिक रूप से निर्देशित नहीं किया और न ही प्रकरण से संबंधित कोई कार्यवाही उसके द्वारा या उसके समक्ष की गई है। इसी प्रकार तत्कालीन एस.डी.ओ.पी. बैहर दिनेश मिश्रा (अ.सा. 12) ने भी अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था। जप्ती पंचनामा में उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उसे चमड़ा जप्त करने की कार्यवाही के संबंध में कुछ याद नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा भी परिक्षेत्र सहायक जे.के. मोहर की कार्यवाही का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया गया है। ऐसी दशा में उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण के द्वारा मामलों में कथित निर्देश दिए जाने व कार्यवाही का समर्थन न करने से परिक्षेत्र सहायक जे.के. मोहर (अ.सा.1) के उक्त उच्च अधिकारीगण के निर्देश कार्यवाही किये जाने के संबंध में किये गए कथन असत्य एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं। मामलों में जिन वरिष्ठ अधिकारीगण के कहने पर कार्यवाही किया जाना वन परिक्षेत्र सहायक ने बताया है, उन अधिकारी ने उक्त निर्देश एवं कार्यवाही से इंकार

करने से वन परिक्षेत्र सहायक की कार्यवाही प्रारंभ से ही संदेहास्पद प्रकट होती है।

14— विवेचक परिक्षेत्र सहायक जे.के. मोहर (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय सामान्य परिक्षेत्र बैहर में पदस्थ था, जबकि उसके द्वारा वन परिक्षेत्र गढ़ी में कथित जप्ती की कार्यवाही किये जाने के पूर्व आरोपी गणेश के घर की तलाशी का वारंट होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये गए हैं और न ही ऐसा वारंट पेश किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कथित जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-2 के पूर्व तलाशी पंचनामा बनाया जाने का भी उल्लेख नहीं है और न ही ऐसा पंचनामा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार कथित जप्ती कार्यवाही के पूर्व बिना सर्च वारंट के एवं बिना तलाशी पंचनामा तैयार किये कार्यवाही किया जाना भी वन अधिकारी की कार्यवाही को दूषित करता है।

15— प्रकरण में जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 के अनुसार कथित रूप से आरोपी गणेश से शेर, चीतल व रेढ़ा का चमड़ा जप्त होना दर्शित किया है तथा जप्ती वाले स्थान के रूप में उक्त जप्तीपंचनामा में ग्राम बिठली, थाना बिरसा लेख है। जबकि परिक्षेत्र सहायक जे.के. मोहर (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी गणेश के घर से उक्त संपत्ति की जप्ती व बरामदगी की गई है। ऐसी दशा में जप्ती अधिकारी के द्वारा जप्तीपंचनामा में जप्ती वाले स्थान का स्पष्ट विवरण का उल्लेख न किया जाना भी तात्त्विक त्रुटि को दर्शित करता है। जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता कि कथित जप्ती की कार्यवाही आरोपी गणेश के घर से की गई थी।

16— जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 में तिलकचंद बिसेन सहायक परिक्षेत्र अधिकारी (अ.सा.3) के हस्ताक्षर होना प्रकट होते हैं, जबकि उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई चमड़ा जप्त नहीं किया था और उसके पहुंचने के पहले ही कथित जप्ती की कार्यवाही हो चुकी थी। इस प्रकार स्वयं विभागीय साक्षी सहायक परिक्षेत्र अधिकारी तिलकचंद (अ.सा.3) ने जप्ती अधिकारी द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

17— जप्ती के पंच साक्षी मो. दिलावर खान (अ.सा.2) ने जप्ती अधिकारी परिक्षेत्र सहायक जे.के. मोहर की कार्यवाही का विभागीय साक्षी के रूप में समर्थन करते हुए कथन किये हैं। यद्यपि इस साक्षी ने भी जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई तात्त्विक

त्रुटि के संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपी गणेश उन्हें रास्ते में मिला था और रणमत के बताए हुलिए के आधार पर गणेश को रोका गया था, जिसे रणमतसिंह ने पहचान किया था। वे लोग रणमतसिंह के साथ ही ग्राम बिठली पहुंचे थे। परिक्षेत्र सहायक जे.के. मोहर (अ.सा.1) ने भी साक्षी रणमतसिंह को लेकर मौके पर पहुंचना बताया है।

18— रणमतसिंह (अ.सा.10) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वन विभाग वालों ने उससे आरोपी हफीज के बारे में पूछताछ की थी। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविराधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी गणेश से कथित शेर, चीतल व रेढ़ा का चमड़ा वन विभाग वालों ने जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 व पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया था। साक्षी ने उक्त पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर करने से भी इंकार किया है। साक्षी ने वन विभाग वालों को आरोपी गणेश द्वारा चमड़ा खरीदने की बात बताए जाने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण साक्षी के द्वारा जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है। साक्षी के कथन से यह भी प्रकट होता है कि वह जप्ती अधिकारी के साथ मौके पर नहीं गया था। अतएव उक्त साक्षी के घटना के समय वन अधिकारी के साथ हमराह होने के संबंध में भी अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट होता है।

19— अभियोजन की ओर से साक्षी घुडनदास (अ.सा.8) एवं फागूदास (अ.सा.9) को मृत आरोपी विश्वनाथ व कुंवरसिंह के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में साक्षी बनाया गया है। आरोपी विश्वनाथ व कुंवरसिंह के फौत होने से उक्त साक्षीगण के कथन का महत्व नहीं रह जाता है। उक्त साक्षीगण के कथन से अन्य आरोपीगण के विरुद्ध कोई समर्थन अभियोजन को प्राप्त नहीं होता है।

20— मामलें में अभियोजन की ओर से परिवादी वन परिक्षेत्र अधिकारी की साक्ष्य नहीं कराई गई है। परिवाद पत्र में भी परिवादी को साक्षी के रूप में साक्ष्य सूची में उल्लेखित नहीं किया गया है, बल्कि साक्ष्य सूची परिवादी के द्वारा हस्ताक्षरित न होकर सहायक परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना प्रकट होता है। परिवाद पत्र को अभियोजन की ओर से प्रदर्श कर परिवादी के द्वारा प्रदर्श नहीं किया गया है और न ही सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जे.के. मोहर (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में परिवाद पेश करने के बारे में कोई कथन किये हैं। उक्त तथ्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि स्वयं

विवेचक सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जे.के. मोहर (अ.सा.1) ने ही परिवाद तैयार कर कथित परिवादी के मात्र हस्ताक्षर करवाकर परिवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया है। इस तथ्य की पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत परिवाद की आदेश पत्रिका के अवलोकन से भी होती है। इस प्रकार अभियोजन ने परिवाद पत्र भी प्रमाणित नहीं किया है।

21— प्रकरण में अन्य आरोपीगण के विरुद्ध आरोपी गणेश के द्वारा दी गई कथित जानकारी पर कार्यवाही कर उन्हें अभियोजित किया गया है। इस संबंध में आरोपी गणेश के कथित स्वीकारोक्ति वाले कथन प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। आरोपी गणेश के कथन प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 के अनुसार आरोपी हफीज ने कथित जप्ती कार्यवाही के एक दिन पूर्व उसके व आरोपी राजू के साथ मोटरसाईकिल से उसके घर आया था और चमड़ा रखने हेतु दिया था, जो जप्ती कार्यवाही में जप्त हुआ था। आरोपी गणेश के उक्त बयान प्रदर्श पी-6 को लेख करने वाले विवेचक सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जे.के. मोहर (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श किया है, किन्तु उस पर आरोपी के द्वारा हस्ताक्षर किये जाने का कथन नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कथन किसी अन्य पंच साक्षीगण के समक्ष लेख किया जाना भी प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में आरोपी गणेश के कथित स्वीकारोक्ति के कथन विधिवत् प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है और न ही आरोपी गणेश द्वारा अपराध की कथित संस्वीकृति के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है।

22— आरोपी गणेश के बयान प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 मात्र के आधार पर आरोपी गणेश को जप्ती कार्यवाही के प्रमाणित किये बगैर तथा संपुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता और न ही आरोपी गणेश की कथित स्वीकारोक्ति सह आरोपी के रूप में अन्य आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त है। आरोपी हफीज के बयान प्रदर्श पी-13 में यह उल्लेख है कि उसके द्वारा वन्य प्राणी के चमड़े खरीदने बेचने का कोई कार्य कभी भी नहीं किया गया है और न ही ऐसे व्यवसाय वाले व्यक्ति से उसका संपर्क रहा है। उसने वन्य प्राणी का चमड़ा किसी के यहां नहीं रखा। स्वयं विभागीय साक्षी मो. दिलावर खान (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे गणेश ने यह नहीं बताया था कि चमड़ा हफीज ने लाकर उसके यहां रखा था। इस प्रकार उक्त बयान प्रदर्श पी-13 स्वयं अभियोजन मामले के विरुद्ध होने और उक्त बयान से ही आरोपी हफीज के द्वारा अपराध कारित न किये जाने का तथ्य प्रकट होने के बावजूद भी उसे निराधार अभियोजित किया जाना प्रकट होता है।

23— आरोपी राजू भोजक के विरुद्ध कथित मोटरसाईकिल की जप्ती के आधार पर वाहन स्वामी के रूप में व कथित अपराध से संबंधित वस्तु के परिवहन किये जाने के आधार पर उसे अभियोजित किया जाना प्रकट होता है, जबकि कथित मोटरसाईकिल की जप्ती आरोपी के आधिपत्य से न होकर मोतीलाल के मकान से जप्त होना जप्तीनामा प्रदर्श पी-3 में बताया गया है। उक्त जप्तीनामा प्रदर्श पी-3 में गवाह के रूप में मोतीलाल का नाम भी दर्ज है, किन्तु उसे परिवादी की ओर से परिवाद पत्र के साथ साक्ष्य सूची में साक्षी के रूप में शामिल नहीं किया गया है और न ही उसकी साक्ष्य कराई गई है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी मोतीलाल (ब.सा.2) के कथन कराए गए हैं, जिसने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी राजू ने उक्त मोटरसाईकिल को उसके घर में खड़ी कर दिया था, जिसे वन विभाग के लोग जप्त करके ले गए तथा उस समय आरोपी वहां पर उपस्थित नहीं था। ऐसी दशा में आरोपी राजू के आधिपत्य से उक्त मोटरसाईकिल की जप्ती प्रमाणित नहीं है। इसके अलावा कथित मोटरसाईकिल का उपयोग तथाकथित अपराध में किये जाने के संबंध में भी पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है। विभागीय साक्षी मो. दिलावर खान (अ.सा.2) ने स्वयं प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे राजू ने आरोपी गणेश के यहां मोटरसाईकिल से जाने के बारे में नहीं बताया था। अभियोजन ने कथित मोटरसाईकिल से किसी वन्य प्राणी की खाल की बरामदगी या परिवहन किया जाना प्रमाणित नहीं किया है और न ही आरोपी राजू के विरुद्ध कथित खाल के स्वयं व्यवसाय किये जाने या ऐसे व्यवसाय में किसी को सहयोग प्रदान किये जाने की कोई साक्ष्य पेश की गई है। ऐसी दशा में उक्त मोटरसाईकिल के वाहन मालिक के रूप में आरोपी राजू को मात्र संदेह के आधार पर अभियोजित किया जाना प्रकट होता है।

24— मामलें में अभियोजन ने परिवाद पत्र को परिवादी की साक्ष्य कराकर प्रमाणित नहीं किया है। मामलें में एकमात्र वन अधिकारी, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जे.के. मोहर (अ. सा.1) के द्वारा संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही निष्पादित की गई है। इस अनुसंधानकर्ता एवं जप्ती अधिकारी के द्वारा मामलें में कार्यवाही किये जाने का आधार वरिष्ठ अधिकारी एस.डी. ओ. फॉरेस्ट, एस.डी.ओ.पी., एस.डी.एम बैहर के एक साथ निर्देश दिया जाना बताया गया है, जो कि पूर्णतः अस्वाभाविक प्रतीत होता है। स्वयं उक्त अधिकारीगण एस.डी.ओ फॉरेस्ट के. मुरुगन (अ.सा.11), तत्कालीन एस.डी.ओ.पी. बैहर दिनेश मिश्रा (अ.सा.12) ने अपनी साक्ष्य में उक्त निर्देश दिए जाने व कार्यवाही किये जाने से सिरे से इंकार किया है। इस प्रकार उक्त सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जे.के. मोहर (अ.सा.1) एवं मो. दिलावर खान (अ.

सा.2) के द्वारा कथित अधिकारीगण के निर्देश पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में असत्य कथन किया जाना प्रकट होता है। मामले में आरोपी गणेश से कथित वन्य प्राणियों के चमड़े जप्त किये जाने की कार्यवाही विधिवत् प्रमाणित नहीं है तथा जप्ती की कार्यवाही का किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने समर्थन नहीं किया है। स्वयं विभागीय साक्षी तिलकचंद (अ.सा.3) ने उक्त जप्ती की कार्यवाही का समर्थन महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया है। आरोपीगण के विरुद्ध बिना सर्च वारंट के की गई संपूर्ण कार्यवाही विधिक प्रक्रिया अपनाए बगैर किया जाना तथा कार्यवाही संदेहास्पद रूप से निष्पादित कर उन्हें अभियोजित किया जाना प्रकट होता है।

25— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वन अधिकारी के द्वारा असत्य आधार पर दूषित एवं त्रुटिपूर्ण कार्यवाही किये जाने से तथा आरोपीगण के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित न किये जाने के कारण आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—39(3), 40(2) सहपठित धारा—51 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

26— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

27— प्रकरण में जप्तशुदा वन्य प्राणी शेर, चीतल व रेढ़ा का चमड़ा अपील अवधि पश्चात् वन परिक्षेत्र अधिकारी गढ़ी, जिला बालाघाट को विधिवत् नष्ट किये जाने हेतु सुपुर्द किया जावे। जप्तशुदा कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे तथा जप्तशुदा मोटरसाईकिल उसके पंजीकृत स्वामी को सुपुर्द की जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट